न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण

:–

मांगूराम पुत्र रामाराम जाट (फौत)
1/1 केसर पुत्र मांगूराम
1/2 भूरारमा पुत्र मांगूराम
1/3 दाखुड़ी पुत्री मांगूराम
जाति जाट निवासी बरनेल

1. भंवराराम पुत्र किस्तुरराम जाट
2. मतुदेवी पत्नि लिखमाराम जाट
3. रामकुवार पुत्र लिखमाराम जाट
4. धमेन्द्र पुत्र लिछमाराम जाट
   3 से 4 नाबालिग जरिये माता
5. नाथी पत्नी उगमाराम जाट
6. कालूराम पुत्र उगमाराम जाट
7. डालूराम पुत्र उगमाराम जाट
8. जड़ावपुत्री उगमाराम जाट
9. गोरू पुत्री उगमाराम जाट
   जाति जाट निवासी बरनेल
10 तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता, वादीगण
श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 9

मुकदमां नम्बर :– 23/2019 निर्णय दिनांक :–15/2/2020

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बरनेल के खसरा नम्बर 260 रकबा 2.08 हैक्टयर स्थित हैं वादी व प्रतिवादी 1 से 9 एक ही परिवार के हैं तथा मेवाराम जी के विधिक वारिसान हैं उक्त जमीन वादी की पैतृक कब्जा काश्त की हैं उक्त भूमि वादी के काका के लड़के मोडूराम के नाम दर्ज है। मोडूराम अपने पिता चतराराम जी के एक मात्र विधिक वारिसान थे मोडूराम अविवाहित फौत हो गये थे मोडूराम की सेवा सुश्ररा वादी मांगूराम व उसके वारिसान ही करते आ रहे थे। मोडूराम की जमीन पर कब्जा काश्त एक मात्र वादी का ही हैं।

15/2/2020
उप खण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी उक्त जमीन को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हैं जिसमें प्रतिवादीगण सहमत हैं लेकिन राजस्व विभाग द्वारा वादी के पक्ष में खातेदारी इन्द्राज करने से इंकार कर दिया हैं। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बरनेल के खसरा नम्बर 260 रकबा 2.08 हैक्टयर भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता शैतानसिह ने वकालतनामा व वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबालिया जबाब पेश किया है। प्रतिवादी 10 का सम्मन विधिवत तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श– 1 , ग्राम पंचायत गूलर क्षरा जारी मेवाराम पुत्र गिरधारीराम का सजरा पेश किया है, तथा " न्याय आपके द्वारा अभियान प्रस्तुत वाद व प्रतिवादीगण के कैम्प में लिये गये बयानों की प्रतियां पेश की है। मौखिक साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह रूघाराम, प्रभूराम, के शपथ पत्र पेश किये और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वाद बन्द की जाकर उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

3. वादी के वाद पत्र के सम्बन्ध में अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि वादी व प्रतिवादी 1 से 9 एक ही परिवार से हैं तथा मेवाराम जी के वारिसान हैं मेवाराम जी के दो पुत्र चतराराम व रामाराम थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। चतराराम जी के एक पुत्र मोडूराम तथा रामाराम की तीन पुत्र किस्तुराम, मांगूराम उगमाराम हुऐ जिसमें मोडूराम अविवाहित फौत हुऐ तथा किस्तुराम व उगमाराम का भी स्वर्गवास हो चुका हैं किस्तुराम व उगमाराम के वारिसान प्रतिवादीगण है। स्वर्गीय मोडूराम पुत्र चतराराम की सेवा सुश्ररा वादी व वादी वारिसान ही करते आ रहे हैं मोडूराम जी की भूमि पर कब्जा भी मात्र वादी का ही हैं। जिससे वादी इस विवादित भूमि में मोडूराम पुत्र

उप खण्ड अधिकारी 15/2/2020
परबतसर [नागौर]

Scanned by CamScanner

चतराराम के स्थान पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नही करने इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जामाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार ग्राम बरनेल के खसरा नम्बर 260 रकबा 2.080 हैक्टयर भूमि मोडूराम पुत्र चतराराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। वादी के अनुसार वह अविवाहित था जिसके कोई जाईन्दा कोई वारिसान नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण मोडूराम के पिता चताराम के भाई रामाराम के वारिसान हैं। वादी मांगूराम भी रामाराम का जाइन्दा पुत्र हैं ओर केवल मात्र मोडूराम की सेवा सुश्रशा करने के आधार पर मोडूराम की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने मोडूराम का एक इकलौता वारिस होने बाबत कोई गौदनामा , वसियत या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे खातेदार मोडूराम की खातेदारी दर्ज भूमि का वादी इलौता अधिकारी हो। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण 1 से 9 ने इकाबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया हैं तथा वाद को वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता हैं तो कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया हैं , हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोडूराम के भाई रामाराम के वारिसान को विधिक वारिसान मान भी लिया जाता हैं तो भी उक्त भूमि में रामाराम के वारिसान प्रतिवादी 1 से 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 5 से 9 का 1/3 हिस्सा तथा वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। केवल मात्र वादी व प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक रूप से स्वीकार करने मात्र से अकेला वादी सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी पाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। मोडूराम फौत हो चुका हैं जिसके प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नहीं हैं तो द्वितीय श्रेणी के जितने भी वारिसान है उनका बहिस्सा बराबर अधिकार मोडूराम की भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है। जिससे मोडूराम की सम्पूर्ण भूमि में केवल वादी अकेला खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी सम्पूर्ण की खातेदारी पाने का

उप खण्ड अधिकारी /2/2020
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

अधिकारी नहीं है। जिससे वादी खातेदारी घोषणा का वाद साबित करने मे असफल रहा है। वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादी खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा साबित करने में असफल रहने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 15/2/2020.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/2/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालत:– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.**
आज अदालत :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादी :–
मांगूराम पुत्र रामाराम जाट (फौत)
1/1 केसर पुत्र मांगूराम
1/2 भूरारमा पुत्र मांगूराम
1/3 दाखुड़ी पुत्री मागूराम
जाति जाट निवासी बरनेल

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भंवराराम पुत्र किस्तुरराम जाट
2. मतुदेवी पत्नि लिखमाराम जाट
3. रामकुवार पुत्र लिखमाराम जाट
4. धमेन्द्र पुत्र लिछमाराम जाट
   3 से 4 नाबालिग जरिये माता
5. नाथी पत्नी उगमाराम जाट
6. कालूराम पुत्र उगमाराम जाट
7. डालूराम पुत्र उगमाराम जाट
8. जड़ावपुत्री उगमाराम जाट
9. गोरू पुत्री उगमाराम जाट
   जाति जाट निवासी बरनेल
10 तहसीलदार, परबतसर

मुकदमां नम्बर :– 23/2019 निर्णय दिनांक :– 15.02.2020

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादीगण व शैतानसिह वकील प्रतिवादी 1से 9 को डिकी दी जाती हैं कि :–

वादी खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा साबित करने में असफल रहने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.02.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मौलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

15/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner